समाचार एवं विचार सेवा वार्षिक सहयोग राशि 25/–
महाकौशल–संदेश
वर्षः– 18 पृष्ठः– 4 अंक :– 45 संपादक :– डॉ. किशन कछवाहा
RNI No. MPHIN/2001/11140
यह सामग्री 'प्रकाशनार्थ' प्रेषित है। कृपया अपने लोकप्रिय पत्र–पत्रिका में प्रकाशित कर Complimentaryकापी प्रेषित करने की अनुकम्पा करें।

अब माना कि रामसेतु रामायण कालीन ही है

– अरूण कुमार सिंह

संप्रग सरकार के समय रामसेतु के लिए कई वर्ष तक आंदोलन करने वाली विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय महामंत्री डॉ. सुरेंद्र जैन कहते हैं, '' राम को नहीं मानने वाले भी रामसेतु को नहीं तोड़ पाए। अब तो केंद्र में रामभक्तों की सरकार है। इसलिए यह बात तो पक्की है कि अब रामसेतु नहीं टूटेगा।'' उन्होंने यह भी कहा, '' एक नहीं, अनेक बार श्रीराम और रामसेतु दोनों की ऐतिहासिकता सिद्ध हो गई है। इसलिए भारत सरकार इसे राष्ट्रीय ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा दे। '' अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि रामसेतु को तोड़ने से पर्यावरण को भारी नुकसान होगा।

प्रख्यात इतिहासकार प्रो. मक्खन लाल कहते हैं कि '' रामायण में लिखा गया है कि भगवान राम ने लंका जाने के लिए इस पुल का निर्माण कराया था। इसलिए यह कहने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि इसके निर्माता भगवान राम ही थे।'' उन वामपंथी इतिहासकारों और सेकुलर नेताओं की पोल खुल गई है, जो राम और रामसेतु के अस्तित्व को ही नकारते रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 2008 में तत्कालीन कांग्रेसनीत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक शपथपत्र देकर कहा था, '' राम ही नहीं हुए हैं, तो फिर रामसेतु कहां से आ गया ?'' सरकार ने यह भी कहा था, '' रामसेतु के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाने के लिए भारत के पास कोई उपयुक्त साधन नहीं है।'' संप्रग सरकार के इस कथन का हिंदुओं ने जबरदस्त विरोध किया था। इसे देखते हुए तत्कालीन मनमोहन सिंह

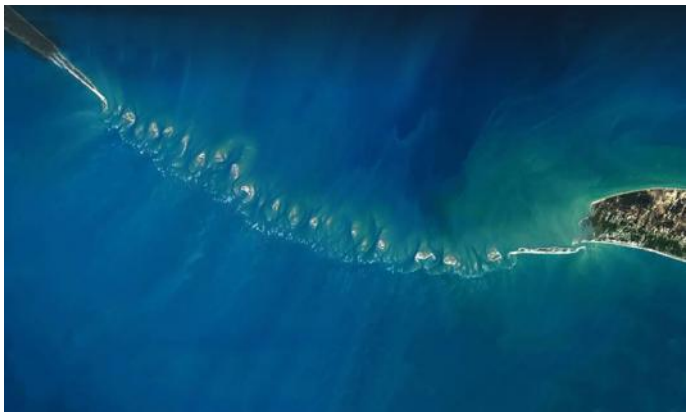

सरकार ने न्यायालय से शपथपत्र वापस ले तो लिया, लेकिन रामसेतु को तोड़ने का फरमान जारी कर दिया।

इसके विरोध में कई संगठन न्यायालय तक पहुंचे थे। यह मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। 13 नवंबर को न्यायालय में केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह छः सप्ताह में बताए कि वह रामसेतु को तोड़ना या संरक्षित करना चाहती है। हालांकि वर्तमान भाजपानीत सरकार ने आते ही कहा था कि वह रामसेतु को नहीं तोड़ेगी। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने भी कुछ समय पहले सार्वजनिक रूप से कहा था कि रामसेतु को तोड़ा नहीं जाएगा। रामसेतु की लंबाई लगभग 50 किलोमीटर है। इतिहासकारों का कहना है कि पहले इसी पुल के जरिए भारत और श्रीलंका के लोग एक – दूसरे के यहां आते – जाते थे। रामेश्वरम मंदिर के दस्तावेजों के अनुसार 1480 ई. तक यह पुल भारत और श्रीलंका के लोगों के लिए आवागमन का एकमात्र साधन था। उन्हीं दिनों आई एक विशाल सुनामी के कारण इसका कुछ हिस्सा ध्वस्त हो गया। इसके बाद दोनों देशों के लोग नावों के जरिए एक – दूसरे के यहां आने – जाने लगे थे।

अमेरिका के साइंस चैनल का दावा है कि रामसेतु कोरी कल्पना नहीं हो सकता। चैनल ने यह दावा कुछ वैज्ञानिकों के अध्ययन के आधार पर किया है। वैज्ञानिक ऐलान लेस्टर, पुरातत्वविद् चेल्सी रोज आदि ने सैटेलाइट से प्राप्त चित्रों का अध्ययन किया है। इन वैज्ञानिकों का दावा है कि हिंदू शास्त्रों में जिस रामसेतु की चर्चा है, वह यही पुल है। इन लोगों ने यह भी कहा है कि रामसेतु में लगे पत्थर करीब 7,000 साल पुराने हैं और वहां की बालू लगभग 4,000 वर्ष पुरानी है। यानी यह बात एक बार फिर सिद्ध हुई कि पत्थर और बालू अलग – अलग स्थान से लाकर यह पुल बनाया गया था। इस बात के समर्थन में 'हिस्ट्री ऑफ वैदिक एंड रामायण एराज' की लेखिका सरोज बाला कहती हैं, आज से 7,089 वर्ष पहले 4 दिसंबर 5076 ई. पूर्व में राम ने रावण का वध किया था। इसके बाद वे अलग – अलग स्थानों पर रूकते हुए 29 वें दिन 2 जनवरी, 5075 ई. पूर्व में अयोध्या पहुंचे थे।'' 7000 साल पुरानी इस बात के काल निर्धारण में फर्क तो होगा ही। इसी फर्क के आधार पर कुछ वामपंथी कहते हैं कि एक ही पुल के निर्माण में लगे पत्थर और बालू की आयु में अंतर कैसे हो सकता हैं ? इस पर प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद् प्रो. मक्खनलाल कहते हैं, '' इस सवाल का जवाब पाने से पहले उन पत्थरों के निर्माण के तरीके को देखना होगा ? समुद्र में इन पत्थरों का निर्माण झाग, मरी हुई मछलियों आदि से होता है। ये चीजें समुद्र के किनारे होती हैं और समय के साथ ठोस रूप ले लेती हैं। इसे 'कार्ड रीफ' कहा जाता है। इससे ठोस रूप तो जरूर हो जाता है, लेकिन वजन बहुत ही कम होता है। इसलिए ये पत्थर पानी में डूबते नहीं और समुद्री लहरों के कारण किनारे पहुंच जाते हैं। समुद्री लहरों के साथ वह भी आती – जाती रहती है, लेकिन बालू कई जगह जम भी जाती है। आज जहां रामसेतु है, वहां पहले बालू की मेड़ जैसी थी। उसी पर पत्थर रखकर रामसेतु का निर्माण किया गया था।''

काशी विश्वनाथ मंदिर के पीछे बड़ी साजिश ?

काशी विश्वनाथ मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर जमीन के नीचे रहस्यमय तरीके से अवैध निर्माण चल रहा था जिसकी भनक न तो स्थानीय शासन को थी, न पुलिस को और न ही विकास प्राधिकरण को। इतना ही नहीं खुफिया एजेन्सी भी इस जानकारी से बेसुध ही रहीं।

उल्लेखनीय है कि काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर और उसके आस – पास का क्षेत्र अति संवेदनशील होने के कारण 24 घन्टे कड़ी सुरक्षा में रहता है। इसके बावजूद मंदिर के पास की भूमि में जमीन के अंदर एक फुटवाल मैदान के बराबर लगभग आठ हजार फुट में निर्माण कार्य करा लिया जा चुका है। सम्भावना इस बात पर भी व्यक्त की जा रही है कि कहीं इसके पीछे बाबा विश्वनाथ के मंदिर को क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से तो कहीं ये साजिश नही रची गयी ?

सम्भव है इस निर्माण कार्य में स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रशासन के लोगों की भी मिली भगत हो। क्योंकि जमीन के अन्दर से निकाली गयी सैकड़ों ही नहीं वरन् हजारों ट्रक मिट्टी निकल गयी और किसी को कानों कान खबर भी नही हो सकी। स्थानीयनागरिकों को तो इसकी जानकारी जरूर होगी। लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी किन कारणों से प्रशासन को नहीं दी और दी है तो फिर उसपर कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक का कहना है कि पिछली सपा सरकार के समय इस निर्माण की शुरूआत हो गयी थी।

उज्जैन में भी भारत माता मंदिर

महाकाल की नगरी उज्जैन को ' भारत माता मंदिर ' के रूप में एक नई पहचान मिली है। माधव सेवा न्यास द्वारा निर्मित इस मंदिर का लोकार्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहनराव भागवत और वात्सल्य ग्राम, वृंदावन की संस्थापक साध्वी ऋतम्भरा ने किया। लोकार्पण के पूर्व मंदिर स्थापना यज्ञ हुआ, जिसमें श्री भागवत जी ने भी आहुति दी। इस अवसर पर श्री भागवत जी ने कहा कि हमारे अवचेतन में अखंड भारत हमेशा बसा रहना चाहिए। भारत की धरती हमारी माता है, हालांकि कुछ लोग इसे धरती का टुकड़ा समझते हैं। हमें जो मिला है इसी से मिला है, यह भूमि सर्वदा देने वाली है। सारी दुनिया भारत से कुछ चाहती है, दुनिया जब त्रस्त होती है तो शांति के लिए भारत की ओर ही देखती है। इस अवसर पर साध्वी ऋतम्भरा ने मां भारती की भव्य प्रतिमा की अत्यधिक प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत मां का श्रृंगार कर दिया तो भारत के हर मंदिर का श्रृंगार कर दिया। राजा और भिखारी की रोचक कहानी के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया कि राष्ट्र के लिए अर्पित की गई वस्तु ही सोना है, बाकी सब मिट्टी। हमारे जीवन की सार्थकता इसी में है कि जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से राष्ट्र की सेवा करें। जो हम देते हैं, वही हम पाते हैं।

स्वागत भाषण न्यास के अध्यक्ष गिरीश भालेराव ने दिया और आभार न्यास के सचिव प्रदीप अग्रवाल ने प्रकट किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन श्री विजय केवलिया ने किया।

मंदिर में स्थापित भारत माता की संगमरमर से बनी 11 फुट ऊंची प्रतिमा को देश के विख्यात मूर्तिकार अर्जुन प्रजापति ने छह माह के कठिन परिश्रम से तैयार किया है। मंदिर के लिए भूमि पूजन 2008 में ही भारत माता मंदिर, हरिद्वार के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानन्द जी के हाथों हुआ था, लेकिन निर्माण कार्य 2012 में शुरू हो सका।

स्वयंसेवकों ने भोजन बाँटा और पादरियों ने बाइबिल

पिछले दिनों केरल और तमिलनाडु के समुद्री किनारों पर 'ओखी ' नाम का तूफान आया था। इसमें काफी मछुआरे हताहत हुए तथा अनेक लापता भी हो गये। आपदा आते ही संघ के स्वयंसेवक सक्रिय हो गये तथा पीड़ितों को भोजन पैकेट, कपड़े पहुँचाने में लग गये। कन्याकुमारी में केलों के लगभग एक लाख पेड़ सड़को पर गिर गये तथा सड़कों पूरी तरह बन्द हो गई। कार्यकर्ताओं ने सौ टोलियाँ बनाई तथा सड़के साफ करने में जुट गये। देखते – देखते सारी सड़कें आने – जाने के लिये खुल गई। इसके अतिरिक्त तूफान पीड़ितों को प्लास्टिक की चटाइयाँ, पानी की बोतलें, दूध की थैलियाँ तथा मोमबत्तियाँ भी तुरत – फुरत पहुँचाई गई।

उधर पादरी पीड़ितों को बाइबिल बांट रहे थे। केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में लगे तटवर्ती क्षेत्र में बसे गाँव ईसाई या मुसलमानों के हैं। इनमें केन्द्र और राज्य सरकार की सहायता पर भी पादरियों ने कब्जा कर लिया। उस सामग्री के साथ एक बाइबिल का गुटका भी पकड़ा दिया। यही नहीं चर्च ने असहाय मजदूरों में केन्द्र सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा कर उन्हें आन्दोलन के लिए उकसा दिया। इसी क्षेत्र में गरीब हिन्दू किसान भी हैं। उनकी केले की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। इन किसानों को कोई राहत सामग्री न मिल पायें, इसकी पूरी कोशिश चर्च ने की।

राष्ट्र – ध्वज फहराने पर कानूनी कार्रवाई

आपको याद होगा कि गत 15 अगस्त को केरल की वाममार्गी सरकार ने सरसंघचालक भागवत जी के राष्ट्र – ध्वज फहराने पर रोक लगा दी थी। स्वतंत्रता दिवस पर भागवत जी केरल में थे ओर पलक्कड़ के कारनेगी अम्मन स्कूल ने उन्हें विद्यालय में राष्ट्र – ध्वज तिरंगा फहराने को आमंत्रित किया था। प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी। इस गैर – कानूनी रोक के बाद भी भागवत जी ने उक्त विद्यालय में तिरंगा फहराया। खिसियाई राज्य सरकार ने इसकी खीझ पलक्कड़ के उक्त स्कूल पर निकाली। प्रशासन से स्कूल को कारण बताओ नोटिस भेजा है तथा कानूनी कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी है।

लाल – बुझक्कड़ों की सरकार में यही होगा। देशद्रोही तथा हिंसा फैलाने वाले सम्मानित होंगे तथा राष्ट्र – ध्वज फहराने पर मुकदमा चलेगा। अंधेर नगरी, चौपट राजा।

भगिनि निवेदिता की परदु:खकातरता

विधवा एवं निराश्रित बालिकाओं की शिक्षा के लिए भगिनि निवेदिता के प्रयासों के कारण ही वह अपनी छात्राओं के बीच बहुत लोकप्रिय थीं। प्रस्तुत संस्मरण उनके परदु:खकातरता के भाव को प्रगट करता है।

स्वामी विवेकानन्द ने भगिनि निवेदिता की कई विशेषताओं को देख कर उन्हें समाज सेवा में दीक्षित किया उसमें प्रमुख थीं, उनकी त्याग की भावना एवं निस्वार्थ सेवा। सामाजिक कार्यो में सबसे महत्वपूर्ण कार्य था स्त्रियों को शिक्षित करना, समाज में उन्हें बराबर का स्थान दिलाना, उन्हें सामर्थ्यवान बनाना – यह विचार हमेशा स्वामी जी के मन में रहता।

विदेश में जब वे एक बार बीमार पड़े तो उन्होंने भगिनि निवेदिता से कहा था – '' कभी मत रूको, पहले स्त्रियां और फिर बाद में और लोग, इन शब्दों को हमेशा याद रखना।''

स्वामी जी के इसी कथन से प्रभावित होकर निवेदिता अपनी पाठशाला में पढ़ने आई बालिकाओं से मातृवत व्यवहार करतीं। उनकी पाठशाला में कई विधवा बालिकाऐं भी पढ़ने आती थीं। तत्कालीन हिन्दू समाज में विधवाओं को कई विधि निषेधों का पालन करना पड़ता था। इसलिए कई बार विधवा बालिकाऐं बिना भोजन किए पाठशाला में आ जातीं।

निवेदिता मुँह देखकर समझ जाती कि किस बालिका ने भोजन नहीं किया है। ऐसा बालिकाओं को भोजन कराने के लिए वे व्यग्र हो उठती। प्रफुल्ल देवी नामक एक अल्पवयस्क विधवा बालिका निवेदिता की ऐसा ही एक छात्रा थी। भगिनि निवेदिता प्रत्येक एकादशी को उसे अपने सामने बैठाकर मिठाई खिलाती, शरबत पिलातीं और स्वयं इन चीजों का स्पर्श न करती।

एक दिन स्कूल समाप्त होने पर उसे भोजन कराने की बात भूलकर वे वैज्ञानिक जगदीश चन्द्र वसु के घर चली गई। अचानक उन्हें स्मरण हुआ कि आज तो एकादशी का दिन है और प्रफुल्ल को भोजन नहीं कराया। वे शीघ्र घर लौट आई तथा प्रफुल्ल को उसी समय अपने घर बुला लाई। उसे भोजन खिलाकर दुःख व्यक्त करती हुई कहने लगीं –

'' मेरी बच्ची मैं आज तुम्हें भोजन कराना भूल गई थी, कैसा अन्याय! तुम्हें खाने को नहीं दिया और मैने खुद खा लिया ! कैसा अन्याय!''

भगिनि निवेदिता द्वारा शुरू की गई पाठशाला धनाभाव के कारण सुचारू रूप से चल नहीं पा रही थी। इस पाठशाला के लिए निधि इकट्ठा करने के लिए भगिनी को स्वामी जी के साथ यूरोप प्रवास पर जाना पड़ा। स्कूल की छोटी – छोटी बच्चियाँ भगिनि निवेदिता के साथ इतना घुल मिल गई थी कि जब उन्हें पता चला कि उनकी प्यारी दीदी उन्हें छोड़कर विदेश जा रही हैं तो उन्हें बड़ा ही दुःख हुआ। भगिनि निवेदिता ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि वे बहुत जल्द ही वापस आएगीं।

बड़ी संख्या में मजारें बन रही हैं भारत – पाक सीमा पर

जैसलमेर जिले में लगी भारत – पाक सीमा पर बिना किसी अनुमति के बड़ी संख्या में मजारें बन रही हैं। सीमाओं की सुरक्षा में जुड़े सीमा सुरक्षा बल ने जिलाधीश को पत्र लिख कर इस पर चिंता प्रकट की है। ये मजारे रातों – रात बन रही हैं और सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई जा रही हैं। पंजाब केसरी (28 दिस.), अंग्रेजी दैनिक डी. एन. ए. (4 जन.) सहित कुछ दैनिकों में इस सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित हुए हैं।

सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने कुछ उदाहरण दिये है। जिले के शाहगढ़ में एक एक दरगाह गैर – कानूनी रूप से बनाई गई है। साल में चार बार वहाँ भारी भीड़ इकट्ठी होती है। ये भीड़ तथा वाहन सी. सु. बल. की छावनी के भीतर होते हुए दरगाह पहुँचते है। भीड़ में तस्कर, आतंकी तथा पाकिस्तानी जासूस भी होते हैं। गत दो वर्षों में इसी क्षेत्र में 52 पाकिस्तानी जासूस पकड़े गये हैं।

समाचारों के अनुसार हरनाऊ पंचायत के मांधला गाँव में भी एक अवैध दरगाह बनाई जा रही है। सेकुलरवाद तथा जिम्मीवाद से त्रस्त प्रशासन ऐसे गैर – कानूनी निर्माणों को रोक नहीं पा रहा है।

नुकसान दायक खाद्य पदार्थो से भरा पड़ा है बाजार

मध्यप्रदेश शासन का खाद्य विभाग और स्थानीय शासन नगर निगम, नगर पंचायत आदि संस्थाये सक्रिय होती तो प्रदेशभर में आकर्षक पाऊचों और चमकीले पैकेट्स में नौ निहालों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले अमानक स्तर की खाद्य सामग्री न बेची जाती। लेकिन इस प्रकार की सामग्री बेरोकटोक धड़ल्ले से गली – मुहल्लों से लेकर बीच शहर में बेची जा रही हैं जिसके कारण बच्चों सहित आम नागरिकों के स्वास्थ पर बुरा एवं अति नुकसान दायक असर पड़ रहा है। ये बिस्किट, गोलियॉ, टाफी के रूप में तथा नमकीन खाद्य पदार्थों के रूप से लेकर राष्ट्रीय – अंतराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा उत्पादित हो रही हैं और बेची जा रहीं हैं। कुछ में खतरनाक किस्म के रंगों का भी प्रयोग होता है।

इन सबका सम्बन्धित अधिकारियों को परीक्षण करना चाहिये। समय समय पर परीक्षण किया जाता है– ऐसा कहकर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ लेते हैं। खामियाजा आम आदमी को गंभीर बीमारियों और उसपर होने वाले इलाज के रूप में भुगतना पड़ता है।

'हिन्दू डरेंगे तो यह धरती जीने योग्य नहीं रहेगी'

कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी

(6 अगस्त, 1941 को पूना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में दिया गया भाषण)

मैं पहले आपको अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने कांग्रेस को इस कारण छोड़ा कि मैं आत्मरक्षा के मामलों में भी शक्ति प्रयोग न करने के सिद्धांत को मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता था, जिस सिद्धांत में मैं विश्वास नहीं करता, अगर मैं उसका समर्थन करता, तो यह अपने प्रति असत्य का व्यवहार होता। इस मतभेद को छोड़कर, मैं वही अडिग देशभक्त हूं जैसा मैं कांग्रेस में शामिल होने से पहले और उसके बाद था।

मैं इस देश की राजनीतिक स्वाधीनता की कल्पना उन सभी समाज वर्गों और वर्ग – हितों की मांगों के समन्वय के बिना नहीं कर सकता, जो राष्ट्रीयता के अर्थ में समाहित हैं। मैं भारत – विभाजन का विरोध करता हूं क्योंकि वह राष्ट्र के अस्तित्व और उसके भविष्य, दोनों को नकारता है।

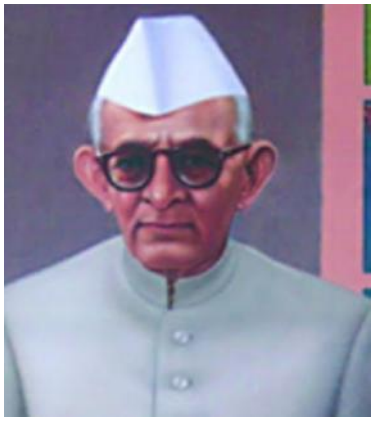

मेरा उतना ही पक्का विश्वास है कि भारत के विभाजन की मांग इस देश में हिन्दू की स्थिति और उसके प्रभाव को नष्ट करने का षडयंत्र है। इन विभाजनकारियों की भारत में मुस्लिम बहुमत या समानता बनाने की महत्वाकांक्षा उनकी हिन्दुओं को अल्पमत बनाने की इच्छा से उत्पन्न हुई है। दूसरी ओर हिन्दू, अब तक बंटे हुए और असंगठित हैं, इस दुरभिलाषा का प्रतिरोध नहीं कर सकते। अगर हिन्दू और अन्य राष्ट्रीय तत्व, जैसे सिख, ईसाई, राष्ट्रीय मुसलमान तथा अन्य, जिसके सम्मिलित प्रयत्न से अखंड हिन्दुस्थान स्वाधीनता की ओर अग्रसर होगा, आतंकित होकर भारत के विभाजन के लिए झुक गए, तो जीवन इस धरती पर बसने के योग्य नहीं रहेगा। हमारा संघ हिन्दुओं का एक विस्तृत संगठन है जो हिन्दुओं की सेवा और उनको शक्तिशाली बनाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। इसलिए हमारा प्रथम कर्तव्य है हिन्दुओं को निर्भय होना सिखलाया।

(लेखक पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं भारतीय विद्याभवन के संस्थापक थे।)

न्याय में देरी ?

राजद के प्रमुख नेता पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के एक मामले में दोषी पाये जाने पर साढ़े तीन साल की सजा सुनायी गयी है। अपराध कितना गंभीर है, इसे समझा जा सकता है। लेकिन चिन्ता का विषय यह है कि इस मामले का आरोप पत्र सन् 1997 में दाखिला हुआ था। अब उसके इस मामले का फैसला बीस साल बाद हुआ। क्या भारत की न्यायप्रणाली पर यह प्रश्न चिन्ह नहीं है ? क्या फैसलों में विशेषकर इस प्रकार के अहं फैसलो ? में इतनी देर क्यों होनी चाहिये ? यदि राजनीति के दोषियों, सत्ताधारियों या इस प्रकार के अन्य घोटाला करने वालों को सजा में इतनी देर हुयी तो लोक तंत्र का क्या हश्र होगा ?

बिहार मे चारा घोटाले के पैसे ने सन् 80 के दशक में ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। सन् 85 में चर्चा ने जोर पकड़ लिया था। सन् 90 तक सभी को समझ में आने लगा था कि कुछ गड़बड़ है।

राज्यपाल ने 17 जून 1997 को लालू प्रसाद पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। 23 जून को लालू समेत 55 अन्य को अभियुक्त माना गया 30 जुलाई 1997 को लालू इस मामले में पहली बार जेल गये। वे 134 दिन की सजा काट कर 11 दिसम्बर 1997 को रिहा हुये।

कटासराज मंदिर से मूर्तियॉ गायब

पाकिस्तान स्थिल प्रख्यात कटासराज मंदिर से भगवान श्री राम और पवनसुत हनुमान की मूर्तियॉ गायब हो गयी हैं। मंदिर में राम, शिव और हनुमान की मूर्तियाँ न होने पर स्थानीय हिन्दुओं में भारी रोष व्याप्त है।

इस मामले में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजी व्यक्त करते हुये प्रशासन से यह भी पूछा है कि प्रशासन इस मामले में क्यों लापरवाही वरत रहा है ? अदालत ने कहा है कि इस मंदिर में पाकिस्तान और भारत के अलावा दुनिया भर से हिन्दू समुदाय के लोग धार्मिक रस्म अदा करने आते हैं। अगर मंदिर मे मूर्तियॉ नहीं होंगी तो पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक हिन्दुओं के बारे में क्या धारणा बनेंगी ?

सूचना

कृपया आप ~~अपना ई~~–मेल एवं मोबाइल नम्बर महाकौशल संदेश के ई मेल पर भेजने का कष्ट करें ताकि 'महाकोशल संदेश' आपको ईमेल पर प्रेषित किया जा सके । – सम्पादक

प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. किशन कछवाहा द्वारा विश्व संवाद केन्द्र, महाकोशल, प्लाट नं–1, म.नं. 1692, नवआदर्श कालोनी, के लिये ओम आफसेट प्रिन्टर्स 239, यूनियन बैंक के सामने बल्देवबाग चौक, जबलपुर द्वारा मुद्रित। प्रकाशन स्थान–विश्व संवाद केन्द्र प्लाट नं 1, म.नं. 1692 नवआदर्श कॉलोनी गढ़ा मार्ग जबलपुर मध्यप्रदेश । संपादक– डॉ. किशन कछवाहा
Email:- vskjbp@gmail.com kishan_kachhwaha@rediffmail.com